माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 पुनरीक्षण(निगरानी)

पुरूषोत्तम पुत्र रामकिशन किरार, निवासी– ग्राम विजयपुर तहसील राघौगढ जिला गुना (म.प्र.)

... **पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक**

बनाम

1. प्राणसिंह पुत्र कल्याण सिंह, जाति किरार
2. रघुवीरसिंह पुत्र कल्याण सिंह, जाति किरार
3. श्यामबाबू, पुत्र कल्याण सिंह, जाति किरार

सभी निवासीगण ग्राम विजयपुर तहसील राघौगढ जिला गुना म0प्र0

..... **प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण**

3. गजराजसिंह किरार
4. ओमप्रकाश किरार पुत्र श्री जमनालाल किरार

निवासीगण ग्राम विजयपुर तहसील राघौगढ जिला गुना म.प्र.

.....**प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदकगण**

पुनरीक्षण/निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता, विरुद्ध विद्वान तहसीलदार, तहसील राघौगढ जिला गुना मध्य प्रदेश द्वारा प्रकरण कमांक..... 6 अ 70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2016 जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक की ओर से अपनी साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत साक्षी मंगलसिंह के द्वारा लाये गये सुसंगत दस्तावेज अभिलेख पर प्रदर्शित कराये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने बावत् आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 7 एवं धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता सहपठित धारा 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता निरस्त किया गया है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी– 1575/अध्यक्ष/16 जिला – गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों अ के हस्ताक्षर
9.6.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव द्वारा तहसीलदार तहसील राघौगढ़ का प्रकरण कमांक 6/अ–70/14–15 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.5.16 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की है । 2– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है । 3–मेरे द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया । इस प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह उठाया गया है कि अनावेदक प्राणसिंह की ओर से अपनी साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत साक्षी मंगलसिंह के द्वारा लाये गये सुसंगत दस्तावेज सीमांकन रिपोर्ट, पंचनामा, आदि अभिलेख पर प्रदर्शित कराये जाने की स्वीकृति तहसीलदार राघौगढ़ से मांगी गई थी जो उनके द्वारा नहीं दी गई और टिप्पणी की गई कि प्रकरण को लंबन में डालने के उददेश्य से जानकारी प्रस्तुत करने हेतु चाही गई है जो दिया जाना उचित नहीं है अतएव उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया है।	

4- उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की है उसमें तहसीलदार राधोगढ़ के अन्तरिम आदेश दिनांक 18.5.16 के अन्तिम पैरा में मंगलसिंह के कथन आगामी नियत पेशी को आवश्यक रूप से कराये जाने के आदेश दिये गये हैं । तहसीलदार के समक्ष मंगलसिंह के कथन हेतु अवसर दिया गया है वह अपने कथन करा सकते है। निगरानीकर्ता जो भी दस्तावेज पेश करना चाहते है वह पेश करने की अनुमति दी जाना उचित है प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण में मदद मिलेदी । अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है । तहसील राधौगढ का आदेश दिनांक 18.5.16 निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

के. सी. जैन
सदस्य